संख्या-1398 /78-2-2022-254एल0सी0/2019

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।

2- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर 2022

विषयः उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4/2021/1792/78-2- 2020/254एलसी/2019 दिनांक 28 जनवरी 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021" अधिसूचित की गई है जो अधिसूचना निर्गत होने से 05 वर्षों तक अथवा उ0प्र0 सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, तक वैध है।

2- मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भूखण्ड सं0-बी-11,12,13 सेक्टर 132, नोएडा, गोतमबुद्धनगर में तीन चरणों में 120 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना के लिए लगभग रु 2692.00 करोड़ का निवेश प्रस्तावित करते हुए उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की गई है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेसर्स एसकेवीआर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को भूखण्ड सं0- बी-11,12,13 सेक्टर 132, नोएडा गोतमबुद्ध नगर में तीन चरणों में 120 मेगावॉट क्षमता के डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना हेतु उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत रु 200 करोड़ से अधिक धनराशि का पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित् विवरणानुसार वित्तीय एव गैर वित्तीय प्रोत्साहन कतिपय शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि रू0 करोड़)

वित्तीय प्रोत्साहन			
विवरण	निवेशक द्वारा मांगी गई धनराशि	नीति के अधीन अनुमन्यता	अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन
भूमि उपादन	नीति के अनुसार	नीति के प्रस्तर 7.1(ब) के अनुसार:- • मध्यॉचल एवं पश्चिमॉचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत। • बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्रों में राज्य अभिकरणों से भूमि क्रय करने/पट्टे पर लेने पर भूमि की प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत।	निवेशक द्वारा भूमि, नीति प्रख्यापन से पूर्व ली गई है, अतः नीति के अन्तर्गत छूट की अनुमन्यता नहीं है।

		कुल परियोजना लागत का 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड़, जो भी कम हो	
ब्याज उपादान	150.00 वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.1 (अ) के अनुसार :- प्रति वर्ष रु 10 करोड़ के प्रतिबन्ध सहित 7 वर्षों तक वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत तक जिसकी कुल सीमा प्रति पार्क रु0 50 करोड़ होगी।	वास्तविक आधार पर अधिकतम रु0 50.00 करोड़ तक अनुमन्यता।
स्टाम्प ड्यूटी छूट	0.742 वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.1 (स) के अनुसार :- • भूमि के क्रय/पट्टे हेतु प्रथम ट्रॉजेक्शन (प्राधिकरण/ भू-स्वामी से डाटा सेन्टर पार्क को) पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (डाटा सेन्टर पार्क से डाटा सेन्टर इकाई को) पर 50 प्रतिशत छूट। • स्टाम्प शुल्क से छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जाएगी, जिसे वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात अवमुक्त कर दिया जाएगा।	मेसर्स एसकेवीआर द्वारा स्टाम्प शुल्क अदा नहीं की गई है, अतः उन्हें स्टाम्प ड्यूटी छूट की अनुमन्यता नहीं है।
इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में छूट	56.94 वास्तविक आधार पर	नीति के प्रस्तर 7.2 (द) (i) के अनुसार :- डाटा सेन्टर इकाइयों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 10 वर्षों की अवधि के लिए इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।	डाटा सेन्टर पार्क्स हेतु अनुमन्य नहीं।
ट्रॉसमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क	नीति के अनुसार	नीति के प्रस्तर 7.1 (द) (ii) के अनुसार :- • विद्युत ऊर्जा के इन्ट्रास्टेट (राज्य के अन्दर) उपयोग पर व्हीलिंग शुल्क/ ट्रॉसमिशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। • इन्ट्रास्टेट ट्रॉसमिशन प्रणाली पर ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय विक्रय हेतु व्हीलिंग शुल्क/ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट परियोजना के चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। • राज्य के बाहर से ऊर्जा के आयात पर इन्ट्रास्टेट प्रणाली पर 5 वर्षों तक ट्रॉसमिशन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट। यह केवल उन्हीं परियोजनाओं पर लागू होगी जो नीति की अवधि (5 वर्षों) के दौरान परिचालनरत/ आरम्भ हो गये हों।	नीति के अन्तर्गत अनुमन्यता।
कोई अन्य उपादान	वास्तविक आधार पर		अनुमन्य नहीं।

4- निवेशक को "उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021" के प्रस्तर-8 के अन्तर्गत अनुमन्य सभी गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता होगी।

5- निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना हेतु मांगे गये उपरोक्त प्रोत्साहन निम्न शर्तों के अधीन होंगे:-

(i) उक्त प्रोत्साहनों/छूट की प्राप्ति के लिए उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021 की अन्य सभी शर्तें/प्राविधान भी प्रभावी होंगे तथा प्रोत्साहनों की प्राप्ति के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 22/2021/1274/78-2-2020-254 एलसी/2019 दिनांक 23 सितम्बर 2021 में विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में निहित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें लागू होंगी।

(ii) निवेशक द्वारा अपनी परियोजना की स्थापना के क्रम में समस्त प्रभावी स्थानीय कानूनों, अधिनियमों, सरकारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) निवेशक द्वारा सम्बन्धित विभाग/संस्था/प्राधिकरण से प्रभावी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लागू सभी आवश्यक अनुमति/स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जायेंगी।

(iv) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्गत सभी नियमों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों का यथाआवश्यकता अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021' की व्यवस्था के अनुरूप, वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता हेतु दिनॉक 27 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर किये जाने वाले निवेश ही मान्य होंगे तथा इस अवधि में व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिया जाना आवश्यक है।

(vi) निवेशक द्वारा समय-समय पर अथवा जब भी शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यक हो, परियोजना की अद्यतन स्थिति प्रदान की जायेगी। शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कोई और जानकारी मांगी जा सकती है और जब भी आवश्यकता होगी, निवेशक द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

(vii) निवेशक इकाई को 'उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2021' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

(viii) इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय संस्थान/बैंक द्वारा किये गये मूल्यॉकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

(ix) निवेशक भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार- दोनों से एक ही मद में वित्तीय प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(x) इकाई के स्थिर निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/ परियोजना मूल्यॉकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था (सक्षम वित्तीय संस्थान/बैंक) से अनिवार्य रूप से तैयार कराई जायेगी।

(xi) वास्तविक पूँजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों (Financial Statements) के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्यॉकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(xii) निवेशक के निवेश प्रस्ताव, परियोजना लागत, वित्तपोषण के माध्यम, टाइमलाइन्स इत्यादि में किसी परिवर्तन की दशा में, निवेशक द्वारा नोडल एजेन्सी को पूर्व सूचित किया जायेगा

तथा निदेशक के अनुरोध पर नोडल एजेन्सी (आवश्यकता होने पर वाह्य संस्था) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और विचारार्थ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(xiii) इस नीति के तहत किसी भी शब्द अथवा प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी संशय के स्पष्टीकरण/समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

6- कृपया उपर्युक्तानुसार लिये गये निर्णयों/ दिशानिर्देशों से निवेशक को अवगत कराते हुए प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या:-1398(1) /78-2-2022.तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदया उ0प्र0।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- अध्यक्ष राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7- अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
8- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव /सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
10- समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग,लखनऊ।
13- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर,लखनऊ।
14- अपर निदेशक / महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र गौतमबुद्ध नगर।
15- संसदीय कार्य अनुभाग-1 / विधायी अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
16- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(कुमार विनीत)
विशेष सचिव